□□□□ □□□□□
स□□स्थ्य □□ □□□□□ □□□□□ □त्र□□□
स□□स्थ्य और परिवार कल्या□ □□□□□

□□□ □□□
अतारांकित प्रश्न □ख□□ : 4386
19 □□□□□, 2019 □□ □□□□□□□□□□ प्रश्□ □□ □त□□

□□□ □ □□□□□□

4386. श्र□ □□□□□□□ □□. □□□□

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री □□ बताने को कृपा करगे कि:

(□) □□□□□□ □□द्य □□क्ष□ □□ □□□□ प्राधिकरण (एफएसएसएआई) द्वारा माननीय □च्च□□ न□□□□□□ □□□□□□ □□ □□□ □ □□□□□□ को रोकने और इस गतिविधि म शामिल अपराधियों □□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□ □□ □□ज□/□□ □□ज□क्षेत्र-□□□ क□□ □□□□□□ □□ □□ □;□□

(□) एफएसएसएआई द्वारा आयातित खाद्यपदार्थों और दुग्ध □□□□□ □□ □□□□त्त□/□□□□ □□ □ख□□ □□ □□□□न्□□ □□□□□□□□□ □□ □□ □□□□□□ □□ □□□□□ क□□ □?

<u>□त□□</u>

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार □□□)□

(□): स□□□□ □च□□□□□□ तीथ एवं अन्य बनाम भारत सरकार एवं अन्य □□□□ □□□□ □□ 2012 को रिट याचिका (सी) संख्या 159 के मामले म मिलावटी दूध को जांच के संबंध म भारत के माननीय सर्वाच्य न्यायालय के दिनांक 05.08.2016 के आदेश के माध्यम से दिए गए □□□□□ □□□□□□□□ □, □□□□□□ □□द्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को माननीय भारतीय सर्वाच्च न्यायालय के निदेशों का □□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□ □□□

□□□□□□□□क्त, एफएसएसएआई ने दूध के नमूनों को ऑन स□□□ □□□□त्त□ □□□ एवं मात्रात्मक विश्लेषण के लिए गुणवत्ता मापदंडों नामत: फैट, □□□□□ □□□ □□ (□□□□□□□), □□□श्रे□ □□, प्र□□□□ □□ □□□□□क्ष□ □□□□□क्ष□ □□□□□□ □□□□: 13 □□□□श्र□□, □न□□बायोटिक्स, □□□□□□□ □□ □□□□□क□□□ एम1 के लिए दूध के नमूनों को एक राष्ट्रव्यापी □□□□त्त□□□□ □□□ □□□□□ □□□

यह सव गुणवत्ता □□□ एवं मात्रात्मक विश्लेषण हेतु सभी 29 राज्यों और 7 केन्द्र □□सित प्रदेशों म 1100 □□□□ □□□□□ □□ 6432 □□□□ □□□□ □□□□ □ □□□□ □□□□□ □□, 2018 □ शुरू किया गया था। □□ष्ट्र□□ □ग्ध गुणवत्ता सव (एनएमक्यूएस) 2018 □□□□□क्षेत्र □ 2 □□□□त्त□ □□□□ □□□□□ (□□ □□□

□□□□□□□), 12 □□□□न□ □□□□श्र□ □□ 4 □□□□□ (□न□□□□□□ि□□, □ो□□□□□, □□□□□क□□□ □□□, एलुमिनीयम फॉसफेट) कवर किए गए ह। कुल 6432 नमूनों म से 41% (2607) प्रोसेस्ड □□ल□ □□□□ □□ 59% (3825) □□□□□□च्चे□□□ से थे। प्रोसेस्ड मिल्क म से 60% □□न□ □□ल□, 20% □ल क्रीम मिल्क, 15% स्टडड मिल्क, □□□ 5% □□□□□□□□ □□न□ □□ल□ □□□□□ □□ □□□□□च्चे□□□ □, प्रत्येक □ □□ □□□□□ □□□□□ □□□, भैस और मिश्रित दूध से लिए गए थे। सभी 6432 नमूने मोबाईल वेनों म काय स्थल से □त□□□ □□त्र एवं गुणवत्ता को दृष्टि से विश्ले□□□ ि□□ □□ □□□□ □□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □न्दूषकों को संभावनाओं □□□□□ □□□,□न□ □□क्ष□ □□□□□ों □□□□□ प्र□□□□□□ओं □□ □□□ □□□ और इनका मात्रात्मक विल्शेषण किया गया।

□□□□, 2018 म जारी को गई रिपोट के अनुसार, □□□□ 39 प्रतिशत दूध के नमूने गुणवत्ता मापदण्डों [□□□, □□□□□ □□□ □□ (□□□□□□□), □□;□□ □□ □□□□□क□ट्रिन] के संदभ म गैर अनुपालक थे लेकिन उनम सुरक्षा संबंधी कोई मुद्दा नहों था। 9.9 प्रतिशत नमूनों म विनिर्दिष्ट □□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ों, □□ □ख□ रू□ □□□□□□ □□□□त□□ □□□□□ो□, एंटीबायोटिक के गैर जिम्मे□□□□□□ □□□□□ □□□ □□□ ो□ □□□□ □द्ध□□□ों □□□□□□□□□□□□□□ □□□□□ □, □ो □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□□क्षे□ □□□ □□ □□।

□ि□ □□□□□□□ □□□□□□□□, 2006 का कायान्वयन एवं इसे लागू कराने □□ □□□ प्र□□□□□ □□□ □□ राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को सरकारों □□ □,□□□□□ □□द्य □□क्ष□ □□□□□□□ □□□□□□□, 2016 □□ □□ □□ □□□□ बने नियमों एवं विनियमों म दिए गए प्रावधानों के अनुपालन को जांच करने के लिए □□□□□□ □□□□□□□, मॉनीटरिग एवं निरीक्षण संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के खाद्य □□क्ष□ □□□□□ों □□ अधिकारियों द्वारा किया जाता है।

□□□□□□ □□□□क्त□ओं □□□□□ □□□ □□ □□□ □त□□□ों □□□□ □च□□ □□□□त्त□ □□□□ □□द्य सामग्री को उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा देश म खाद्य □□□□□□ ो □□स□□ □□ □□□ □□□□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□□□, 2006 के प्रावधानों के तहत दोषियों के विरूद्ध कडी का□□□□ □□□□□□□□□, □□ज□ □□द्य प्राधिकरणों □□ □□□-समय पर सभी स्रोतों नामत: विनिमाताओं, थोक विक्रेताओं और खुदरा व्यापारियों से □□□□□□ रू□ □□□द्य □□□□□□□□ □□ □□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□ो □□□□ □□ □□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□, 2006 □□ □□□□□□□□□ □□□ □□□□□□□□ □□□□ □□ □□□□□□ों □□ प्र□□□□□ों □□ □□□□□□ □□ों □□□□□□□ □□, ऐसे दोषी एफबीओ के विरूद्ध एफएसएस अधिनियम, 2006 □□ □□□□□□□ □□□□ □□ □□□□ों □□□□□□□□ों □प्र□□□□□ों □□□□□□□ □□□त□□ □□□□□□ रू□ ो □□ □□।

□□□□□□ □□द्य उत्पादों के संबंध म केवल मानकोकृत खाद्य उत्पादों का □□□□ □□□□ □□□□□द्य □त□□□ों □□ □□□□ ो □□□□ □□ □□ □□□□□□□□□ □□द्य प्राधिकरण द्वारा अनुमोदन किया गया है।

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को सरकारों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, विश्लेषण किए गए, [illegible] 2017-18 [illegible]-2018-19 [illegible]

([illegible]): [illegible], 2006 [illegible] तहत एफएसएसएआई द्वारा विनिर्दिष्ट मानकों के साथ आयातित [illegible] 20 प्रवेश बिंदुओं को शामिल करते हुए वतमान म एफएसएसएआई के 6 पत्तन [illegible] खाद्य सुरक्षा एवं मानक विनियमों के अंतगत स्थापित और प्रस्तुत सुरक्षा एवं न्यूनमत गुणवत्ता संबंधी मानकों को पूरा [illegible] अथवा नहीं। यदि ये नमूने इन मानको को पूरा करते हुए पाए जाते ह तो अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) [illegible] रिपोट (एनसीआर) तैयार को जाती [illegible] विन्डो इन्टरफेस फोर फैसीलिटेटिंग ट्रेड (एसडब्लयूआईएफटी) म [illegible] प्र[illegible] प्र[illegible] ([illegible]) [illegible] प्र[illegible] है। अत: चुनिंदा प्रविष्टि बिलों को मंजूरी हेतु सीमा प्र[illegible]कारियों से एफएसएसएआई को एफआईसीएस प्रणाली को रेफर किया जाता है।

देश भर म ऐसे अन्य 396 स्थान ह जहां सीमा अधिकारियों को खाद्य [illegible] प्र[illegible]कृत अधिकारियों के तौर पर अधिसूचित किया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि [illegible] खाद्य सामग्री एफएसएसएआई द्वारा वि[illegible]ष्ट [illegible]

[illegible] उल्लेखनीय है कि एफएसएसएआई को सिफारिश पर वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने दिनांक 23 [illegible], 2019 को अधिसूचना के माध्यम से दूध और दूध उत्पादों जिनम [illegible]/कनफेक्सनरी/दूध और दूध सौलिड के साथ तैयार को गई खाद्य [illegible] प्रवेश पत्तनों [illegible] सभी प्रयोगशालाओं को क्षमता का मेलामाइन [illegible] के लिए उपयुक्तत: उन्नयन नहीं किया जाता।

*****

□□□ग□□-I

□□-2017-18 के लिए दूध को वार्षिक सावजनिक प्रयोगशाला परीक्षण रिपोट							
□□ज□	□□श्लेषि□□ □□□ों □ो □ख्□□	□□□□□□□ □□□□□□ ब्र□□ □□□□□□ों □ो □ख्□□	□रू f□□ □□ मामलों को संख्या		□□□□□□द्धि/□□□□□		
			□□□□□□□	□□□□□	□□□□□□द्धि	□□□□□	□□□□□ □□□□
□□□ □ □□ द्वी □□□□	76	44	-	-	-	-	-
□ध्र प्र□□	171	18	03	09	09	07	285000
□रु□□□□ प्र□□	12	-	-	-	-	-	-
□□□	63	08	0	03	02	02	12,000
□□□□□	125	-	-	-	-		
□□□□□	10	03	0	02	-	-	10,000
□त्ती□□□□	41	12	0	03		01	15,000
□□□□□ □□ □□.□□.	21	-	-	-	-	-	-
□□□ □□ □□□	03	-	-	-	-	-	-
□□□□	119	0	-	-	-	-	-
□□□□□	548	75	02	43	42	42	11,28,500
□ि□□□□□	123	21	-	25	-	31	2,65,500
□□□□□□ प्र□□	08	03	01	01	0	02	45,000
जम्मू और कश्मीर	518	228		220	82	149	8,78,400
□□□□□	07	04	--	-	-	-	-
□□□□□	0	0	0	0	0	0	0
□□□	153	15		16	7	8	1,57,000
लक्षद्वीप	NIL						
□□□□□ष्ट्र	2,030	311	0	145	20	49	5,60,000
□□□□□	102	26	-	-	-	-	-
□□□□□	25	-	--	-	-	-	-
□□□□□	24	18	-	-	-	-	-
□□□□□	08	03			-	-	-
□□□□□	164	-	-	-	-	-	-
□□□□	1420	485	01	175	02	112	6,24,150
□□□स्□□□	559	85	19	25	0	23	38,000
सिक्किम *	-	-	-	-	-	-	-
□□□□□□□□□	393	101	07	63	64	65	4,19,000
त्रि□□□	08	02	-	-	-	-	-
□त्त□ प्र□□	5,042	2,631	05	2,000	778	1,078	25,965,000
□त्त□□□□	214	50	-	-	-	-	-
□□श्चि□ □□□□	11	07	-	-	-	-	-

स्रो□□: राज्य/संघ राज्य क्षेत्र;

[illegible]-II

[illegible]-2018-19 के लिए दूध की वार्षिक सार्वजनिक प्रयोगशाला परीक्षण रिपोर्ट

[illegible]	[illegible] नमूनों की [illegible]	[illegible]	शुरू किए गए मामलों की संख्या		[illegible]		
			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	03	-	-	-	-	-	-
[illegible]	18	0	0	0	0	0	0
[illegible]	58	13	-	-	-	-	-
[illegible]	31	01	0	01	01	0	25000
[illegible]	164	103	-	-	-	-	-
[illegible]	10	07	-	-	-	-	-
[illegible]	88	01	-	-	-	-	-
[illegible]	1160	118	01	63	41	80	1623000
[illegible]	164	25	01	27	0	21	349560
[illegible]	13	05	0	04	05	09	102000
जम्मू और कश्मीर	410	71	0	89	69	69	357600
[illegible]	17	06	-	-	-	-	-
[illegible]	189	27	-	-	-	-	-
[illegible]	741	175	01	119	17	32	798000
[illegible]	59	04	-	-	-	-	-
[illegible]	10	-	-	-	-	-	-
[illegible]	03	0	0	0	0	0	0
[illegible]	08	02	-	-	-	-	-
[illegible]	121	1	-	-	-	-	-
[illegible]	847	157	03	93	97	125	1494000
[illegible]	03	01	-	-	-	-	-

[illegible]: राज्य/संघ राज्य क्षेत्र;